न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 51 / 2021

पीठासीन अधिकारी— श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण — 1. फोटा पुत्र रहिमना 2. मिरियम पत्नी रहिमना जाति मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण — 1. पठाई पुत्र रहमतला 2. करीमना पुत्र रहमतला जाति मुसलमान निवासी बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।
3. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण — प्रार्थीगण वकील — श्री दोष मोहम्मद

निर्णय

दिनांक :— 12.07.2022

राजस्व आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बुरहान का तला पटवार क्षेत्र बुरहान का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुरहान का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 971 / 428 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रहिमना था लेकिन रहिमना के पिता के फौत होने पर हल्का पटवारी बुरहान का तला द्वारा नामान्तकरण पारित करवाते समय फौतगी नामान्तकरण में रहिमना की जगह गुड़िया नाम से नामान्तकरण पारित किया गया था जिसमें भूलवश प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रहिमना के स्थान पर गुड़िया अंकित कर दिया गया है। तत्पश्चात रहिमना के फौत होने पर हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रहिमना की जगह गुड़िया अंकित करके नामान्तकरण करवा दिया प्रार्थीगण के पिता अनपढ़ व्यक्ति था जिसे अपने जीवन काल में अपनी जोत में नाम गलत होने की जानकारी नहीं रही प्रार्थीगण को भी अपने पिता व पति का नाम गलत होने की जानकारी नही थी जब प्रार्थीगण को अपने खेत की खतौनी की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:25:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उभयपक्षकारान वकील उपस्थित। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा** बुरहान **का तला पटवार क्षेत्र** बुरहान **का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र** बुरहान **का तला** तहसील **धनाऊ जिला** बाड़मेर **में खसरा नम्बर 971/428 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी सोयम** भूमि **में नाम दुरस्त प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम** गुड़िया **के स्थान पर** गुड़िया **उर्फ रहिमना किये जाने आदेश दिये जाते है तथा** तहसीलदार **धनाऊ** द्वारा **प्रेषित मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।**

तहसीलदार धनाऊ उक्त आदेशानुसार कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:25:42 IST
Reason: SelfAttested